भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 424*

जिसका उत्तर बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

"ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जाना"

424*. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना को सही रूप देने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में वर्तमान में उपलब्ध अधिशेष विद्युत का उपयोग ई-वाहनों को प्रोत्साहित किए जाने पर किया जाएगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

“ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जाना” के बारे में श्रीमती विजिला सत्यानंत द्वारा पूछे गए के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 424 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों (सामूहिक रूप से एक्सईवी) के घरेलू विनिर्माण को गति प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन अनुमोदित किया है और तत्पश्चात् वर्ष 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 आरंभ किया है। यह मिशन प्लान मुख्य रूप से देश में ईंधन सुरक्षा एवं पर्यावरणीय प्रदूषण पर विचार करते हुए तैयार किया गया है।

हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी निरन्तर वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए तथा इस मिशन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारी उद्योग विभाग ने 01 अप्रैल, 2015 से 02 वर्ष की प्रारंभिक अवधि (चरण-I) के लिए फेम इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] स्कीम तैयार की है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि विद्युत मंत्रालय ने भी यात्री कारों के लिए ईंधन दक्षता मानक अधिसूचित किए हैं जिसमें विद्युत वाहनों के लिए सुपर क्रेडिट्स का प्रावधान है।

फेम स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के दूसरे वर्ष में, भारी उद्योग विभाग अथवा इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा गठित की गई एक समिति इस स्कीम की गहन समीक्षा करेगी और इस कार्य के परिणाम/ टिप्पणियों के आधार पर उपयुक्त उपायों का सुझाव देगी। तथापि, इसी बीच फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I को आगामी 6 माह की अवधि अर्थात् 30 सितम्बर, 2017 तक अथवा चरण-II का अनुमोदन किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, इस स्कीम के अधीन “माइल्ड हाइब्रिड” प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध लाभ 01 अप्रैल, 2017 से समाप्त हो गए हैं।

इस स्कीम के अधीन पात्र विद्युत वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए ग्रिड से विद्युत प्राप्त करने की आवश्यकता है।

******